

दिनांक 07.09.2020 को आहूत उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की
बैठक का कार्यवृत्त


एजेन्डा (1): (रु0 50 करोड़ से अधिक लागत के भवन कार्यों हेतु परामर्शी (Comprehensive Integrated Consultant)/PMC (Project Monitoring Consultant) जोकि EOI के आधार पर शार्टलिस्ट किये जाते हैं, उनमें से परामर्शी कार्य के लिए अन्तिम चयन हेतु संशोधित RFP का अनुमोदन करने के संबंध में :-

शासनादेश सं0 562(1)/23-5-20-8(भवन)/2020 दि0:29.05.2020 द्वारा RFP तथा TOR का अनुमोदन उच्च तकनीकी समिति से किया जाना अपेक्षित है। इस क्रम में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 आदि में प्रचलित डाक्यूमेंट के आधार पर TOR एवं RFP का अनुमोदन उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 19.06.2020 द्वारा अनुमोदन किया गया था। उक्त RFP डाक्यूमेंट तथा TOR के आधार पर प्रदेश में रु0 50 करोड़ से अधिक लागत के स्वीकृत 33 कार्यों हेतु RFP निर्गत की गयी। RFP की शर्तों के अनुसार प्रीबिड मीटिंग आहूत की गयी। प्रीबिड मीटिंग में बिडर्स द्वारा दिये गये कतिपय सुझावों के क्रम में वांछित संशोधन करते हुए, संशोधित RFP निर्गत की गयी तथा तदानुसार ही RFP बिड परामर्शियों से प्राप्त की गयी एवं उनकी वित्तीय निविदाएं भी खोली गयीं। उक्त सभी 33 कार्यों हेतु परामर्शियों के साथ अनुबन्ध गठन का कार्य प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार संशोधित RFP तथा RFP Evaluation प्रस्ताव संशोधित कर उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संशोधित RFP में कतिपय संशोधन निम्नानुसार किये गये हैं :-

1. Annexure V, VI व IX को एकीकृत किया गया है। कार्यों के सम्बन्ध में 7 वर्षों के स्थान पर 10 वर्षों का अनुभव माँगा गया है, जिससे परामर्शियों की अधिक परियोजनाओं का अनुभव मैप किया जा सके।
2. Annexure IV (जनरल इन्फार्मेशन) में कतिपय अवाँछित सूचनाओं की माँग कम की गयी है।
3. Key staff के सम्बन्ध में Annexure VI व Annexure VIII को एकीकृत किया गया है।
4. कोई निविदादाता अत्यधिक Low Bid न Quote करे इस हेतु एक सांख्यिकी फार्मूले का समावेश किया गया है। यह फार्मूला उ0प्र0 सरकार के स्टेट वाटर एण्ड सेनिटेशन मिशन द्वारा निर्गत RFP से ग्रहण किया गया है, जो की निम्नानुसार है:- "For each cluster, average of quoted price of all the bidders shall be calculated and bids in which quoted price will be 50 percent or more below the



average price shall be outrightly rejected. As an example, the following procedures shall be followed. In response to the RFP, 5 proposals A, B, C, D & E are received. Price quoted by each bidder is as under :

Average quoted price of 5 Nos of bidders is
 $Rs(140+135+132+60+50)/5= Rs.103.40$
Price quoted by bidder E is 51.65% below
as compared to average price and hence
rejected "

उपरोक्तानुसार RFP हेतु औसत वित्तीय निविदा बोली
से 50 प्रतिशत कम एवं 50 प्रतिशत अधिक बोली वाले
निविदा दाताओं की बिड पर विचार न करते हुए,
Exclude करने हेतु RFP में निम्नानुसार व्यवस्था की
गयी है :-

Bidder	Quoted Price
A	Rs. 140
B	Rs. 135
C	Rs. 132
D	Rs. 60
E	Rs. 50

"However, the bidder(s) quoting abysmally low or very high in their financial bids, shall not be considered for final score calculations & their bid/ proposal shall be rejected whose Financial quote is found to be 50% or more below or 50% or more above the average quoted price."

उदाहरणतया :-

For the avoidance of doubt, the following procedure shall be followed, in response to the RFP where 5 proposals A, B, C, D & E are received. Price quoted by each bidder is as under :

Average quoted price of 5 nos of bidders
is $Rs (200+138+132+112+40)/5 =124.4$
50% of the average quoted price =
 $124.4/2=62.2$


The bids to be excluded from the
consideration will be prices quoted further
below to $124.4-62.2=62.2$ and prices
quoted above to $124.4+62.2=186.6$

The Price quoted by the bidder A=
 $200>186.6$ and by the bidder E= $40<62.2$
shall be rejected.


Bidder	Quoted Price
A	Rs 200
B	Rs 138
C	Rs 132
D	Rs 112
E	Rs 40


5. पूर्व में RFP evaluation शीट में कृतिपय अंको का अंकन दशमलव में था, जिसे अब पूर्णांक में प्रस्तावित किया गया है।








उपरोक्तानुसार प्रस्तुत संशोधित RFP तथा RFP Evaluation प्रस्ताव का सर्वसमिति से उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।


 RCI/Am
7.9.20
मुख्य अभियन्ता
(मुख्यालय-2)
लो0नि0वि0, लखनऊ
सदस्य संयोजक


 7.9.20
मुख्य अभियन्ता
(मुख्यालय-1)
लो0नि0वि0, लखनऊ
सदस्य

 7.9.20
मुख्य अभियन्ता
(राष्ट्रीय मार्ग)
लो0नि0वि0, लखनऊ
सदस्य

 7/9
मुख्य अभियन्ता
(वाहय सहा0 परि0)
लो0नि0वि0, लखनऊ
सदस्य

 7/9/2020
मुख्य अभियन्ता
(भवन)
लो0नि0वि0, लखनऊ
विशेष आमंत्रित सदस्य

 7/9/2020
प्रमुख अभियन्ता
(परिकल्प नियोजन)
लो0नि0वि0, लखनऊ
सदस्य

 7/9/2020
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0, लखनऊ
अध्यक्ष